(12)

9/826

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

528099

जिला झाबुआ (म.प्र.)

3 SEP 2009

लीज–डीड़

लीज सम्पत्ति का भाडा मूल्य वार्षिक परिवर्तित लगान के मान से	:	रूपये 4,15,965/–(चार लाख पन्द्रह हजार नौ सौ पैसठ)
मुद्रांक शुल्क	:	रूपये 31,198/–(इकतीस हजार एक सौ अठानवे)
अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क	:	रूपये 02/–(दो रूपये)
कुल मुद्रांक शुल्क	:	रूपये 31,200/– (इकतीस हजार दो सौ)

जिला झाबुआ (म.प्र.)

3 SEP 2009

कैथोलिक मिशन झाबुआ द्वारा फादर पी .ए. थामस पिता अन्तोनी आयु 36 वर्ष, सचिव कैथोलिक डायोसिस ऑफ झाबुआ, मुख्यालय मेघनगर, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.) : लीज़दाता

कैथोलिक मिशन सोसायटी फॉर ट्रायबल एज्यूकेशन झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 8129 दिनांक 05.02.2003 द्वारा सदस्य एवं वर्तमान प्राचार्य फादर स्टीफन पिता थामस, आयु 44 वर्ष, कैथोलिक मिशन स्कूल (अंग्रेजी माध्यम) झाबुआ, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ (म.प्र.) : लीज़गृहिता

For Catholic Diocese of Jhabua,
Secretary

Catholic Mission Society
For Tribal Education
Bishop's House Meghnagar
Jhabua (M.P.) 457 779

Scanned by CamScanner

3041 से 3046
2/9/09

श्री केथोलिक मिशन झाबुआ फादर पी.ए. थामस पिता अन्तोनी सचिव केथोलिक डायोसिस ऑफ झाबुआ तह झाबुआ (पक्ष क्र. 1)

=×=

केथोलिक मिशन सोसायटी फार ट्रायबल एज्युकेशन झाबुआ प्राचार्य फादर स्टीफन पिता थामस झाबुआ /-

द.स्टा.: [illegible] (पक्ष क्र. 2)

लीज डीड

90.000×3 = 30,000/-
9000×9 = 9000/-
900×2 = 200/-
39200/-

Sheetal
शीतल कोठारी
स्टाम्प वेन्डर, झाबुआ
-2 SEP 2009

कार्यालय जिला कोषालय झाबुआ (म.प्र.) JHA-190
18 AUG 2009
सहा. कोषालय अधिकारी

(1) मुद्रांक विधान के अन्तर्गत मुद्रा शुल्क – 31200.00
(2) अ. पंचायत विधान
ब. म्युनिसीपल विधान
के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क – [illegible]
(3) उपकर – अपकर – 1560.00
(4) रजिस्ट्रेशन शुल्क –
योग – 32760.00

उप पंजीयक
झाबुआ जिला झाबुआ (म.प्र.)

फादर पी.ए. थामस पिता अन्तोनी के द्वारा उप जिला झाबुआ जिला झाबुआ के उप पंजीयक के कार्यालय में तारीख 3 SEP 2009 को म.पू./म.प. 4-30 बजे प्रस्तुत किया गया।

For Catholic Diocese of Jhabua,
Secretary.

उप पंजीयक
झाबुआ जिला झाबुआ (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

528100

लीजदाता एवं लीज़गृहिता यह लेख एक दूसरे के हित व पक्ष मे निम्नानुसार लिख देते है कि :—

सम्पत्ति का विवरण

कस्बा झाबुआ, तहसील झाबुआ, पटवारी हल्का नंबर 19, राजस्व निरीक्षक वृत क्रमांक 01 स्थित परिवर्तित भूमि (आवासीय) सर्वे नंबर 85/1 रकबा 1.000 हेक्टेयर, परिवर्तित लगान रूपये 33,000/—(तैंतीस हजार) तथा परिवर्तित भूमि (व्यवसायिक) सर्वे नंबर 85/1 पै की रकबा 1.000 हेक्टेयर परिवर्तित लगान रूपये 49,500/—(उनपचास हजार पॉच सो) व सर्वे नंबर .85/3 की परिवर्तित भूमि रकबा 0.126 हेक्टेयर लगान रूपये 693/—(छः सो तिरयानवे) कुल रकबा 2.126 हेक्टेयर,(दो हेक्टेयर एक सो छब्बीस आरे) लगान रूपये 83,193/—(तिरयासी हजार एक सो तिरयानवे) जो लीजदाता के एकमात्र मालिकी स्वामित्व व आधिपत्य की है। सदर भूमि में से 0,126 हेक्टेयर भूमि मे तल एवं दो मंजिला स्कूल भवन बना हुआ है तथा शेष खुली भूमि है जिसकी चतुर्सीमा निम्नानुसार है —

पूर्व मे	:	रामकूला नाला है।
पश्चिम में	:	लीजदाता संस्था की कृषि भूमि है।
उत्तर में	:	लीजदाता संस्था की अन्य भूमि तथा भवन है।
दक्षिण में	:	लीजदाता संस्था की बाउण्ड्री वाल तथा उसके बाद नगरपालिका की दुकाने और रोड है।

नोट :—उपरोक्त भूमि की स्थिति को संलग्न ट्रेस नक्शे में और अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है जो नक्शा इस लीजडीड का अविच्छिन भाग रहेगा।

For Catholic Diocese of Jhabua,

Secretary

Mission Society

For Tribal Education

Bishop's House Meghnagar

Jhabua (M.P.) Pin 457 779

Scanned by CamScanner

3042
2 SEP 2009

क्रमांक 3041 ...

कार्यालय जिला कोषालय
झाबुआ (म.प्र.) JHA-130
18 AUG 2009
सहा. कोषालय अधिकारी

(1) कैथोलिक मिशन आश्रम द्वारा फादर
पी.ए. थामस पिता ...
सचिव, डायोसिस ऑफ झाबुआ, ... - ...
(2) कैथोलिक मिशन सोसायटी फॉर ... झाबुआ
द्वारा संचालन एवं ... वर्तमान प्राचार्य फादर ... पिता ...
कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ / — ...

... मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ ... स्वीकार करते हैं कि तथाकथित ... का निवासी ... 415963 ...

... उपस्थिति में पुकारी गयी

(1) डी. ... पिता के. दुराई स्वामी
कैथोलिक मिशन स्कूल - झाबुआ
(2) राजु पिता टिटीया ... नु आवास - कालोनी ...
... की जाँच पूर्णतः निवासक/अभिकर्ता की शिनाख्त के विषय में की गयी । जिला - झाबुआ
... तारीख 3 SEP 2009

उप पंजीयक
झाबुआ जिला झाबुआ (म.प्र.)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

528101

(1) यह कि उपरोक्त सम्पत्ति को इस लेख मे **'उक्त सम्पत्ति'** शब्द से संबोधित किया गया है।

(2) यह कि उक्त सम्पत्ति लीजगृहिता ने लीजदाता से रू. 01/– (रूपया एक) प्रतिवर्ष लीजरेन्ट की दर से शैक्षणिक गतिविधियो के संचालन, विघालय संचालन करने हेतु 30(तीस) वर्ष की अवधि के लिये लीज पर प्राप्त की है।

(3) यह कि लीज अवधि 30(तीस) वर्ष दिनांक 01.07.2009 से प्रारम्भ होकर दिनांक 30.06.2039 को खत्म होगी।

(4) यह कि लीजगृहिता, अग्रिम लीजरेन्ट प्रतिवर्ष नियमित रूप से अदा करेगा। लीजगृहिता के उपर लगातार 2 वर्ष का लीजरेन्ट चढ जाने की दशा मे लीजदाता को अधिकार होगा कि वह लीजगृहिता से उक्त सम्पत्ति कर रिक्त आधिपत्य प्राप्त कर लेवे उसमे लीजगृहिता को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही होगी और लीजगृहिता द्वारा उक्त सम्पत्ति खाली नही करने की दशा मे लीजदाता को अधिकार होगा कि विधिवत वाद न्यायालय मे प्रस्तुत करके न्यायालय द्वारा उक्त सम्पत्ति का रिक्त आधिपत्य प्राप्त कर लेवे । उसमे लगने वाले समस्त खर्चे, हर्जे, न्यायालयीन व्यय, ड्यूटी पेनल्टी की जवाबदारी लीजगृहिता की रहेगी और उक्त सम्पत्ति मे किसी प्रकार की कोई तोड–फोड या रद्दोबदल करने का लीजगृहिता को अधिकार नही होगा। लीजगृहिता ने उक्त सम्पत्ति का कब्जा लीजगृहिता के रूप में प्राप्त कर लिया है।

(5) यह कि लीजगृहिता ने उक्त सम्पत्ति 30 (तीस) वर्ष हेतु लीजदाता से प्राप्त की है। 30 वर्ष पश्चात लीज अवधि 30–30(तीस–तीस) वर्ष हेतु दो बार नवीन लीजडीड के निष्पादन व पंजीयन के माध्यम से आगे बढाई जा सकेंगी।

For Catholic Dioc... Jhabua,
Secretary.

...ssion ...ciety
For ...ral Education
Bishop's House Meghnagar
Jhabua (M.P.) Pin 457 779

Scanned by CamScanner

3043
2 SEP 2009

अनुक्रमांक 3041 का अनुज्ञप्ति धारी
Shobit
शोभा कोठारी
स्टाम्प वेण्डर झाबुआ

कार्यालय जिला कोषालय
झाबुआ (म.प्र.) JHA-190
18 AUG 2009
सहा. कोषालय अधिकारी

For Catholic Diocese of Jhabua,
Secretary

उपरोक्त निष्पादक/पालक/अभिकर्ता
श्री फा. थामस अंगूठे
का निशान मेरे समक्ष दिनांक 13 SEP 2009
को लिया गया।

उप पंजीयक
झाबुआ जिला झाबुआ (म.प्र.)

Catholic Mission Society
For Tribal Education
Bishop's House Meghnagar
Jhabua (M.P.) Pin - 457 779

उपरोक्त निष्पादक/पालक/अभिकर्ता
फादर स्टीफन अंगूठे
का निशान मेरे समक्ष दिनांक 13 SEP 2009
को लिया गया।

उप पंजीयक
झाबुआ जिला झाबुआ (म.प्र.)

गवाह
(1) Nathan
(2)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

C 288082

(6) यह कि लीजदाता ने उक्त सम्पत्ति मे बिजली फिटींग करवा रखी है और मीटर भी लगवाया हुआ है। बिजली का जो भी बिल आएगा वह लीजगृहिता प्रतिमाह अलग से संबंधित विभाग को नियमित रूप से भुगतान करते रहेगे।

(7) यह कि उपरोक्त के अतिरिक्त लीजगृहिता लीजअवधि मे उक्त सम्पत्ति पर लगने वाला परिवर्तित लगान और अन्य जो भी टेक्स अधिरोपित हो वह प्रतिवर्ष शासन या संबंधित निकाय को नियमित रूप से भुगतान करते रहेगें।

(8) यह कि लीजगृहिता ने उक्त सम्पत्ति लीजदाता से शैक्षणिक गतिविधियो के संचालन, विघालय संचालन करने हेतु प्राप्त की है जिसमे लीजगृहिता अन्य कोई कार्य नही करेगें।

(9) यह कि लीज पर ली गई 'उक्त सम्पत्ति' को लीजगृहिता उप–पट्टे पर नही दे सकेंगे और उपपट्टे पर देने का अधिकार लीजगृहिता को नही होगा। लीजगृहिता जब भी उक्त सम्पत्ति खाली करेगा तो उसका रिक्त आधिपत्य लीजदाता को ही सौपेंगा।

(10) यह कि लीजगृहिता उक्त सम्पत्ति का रख–रखाव व रंग रोगन अन्दर और बाहर अपने स्वयं के व्यय से करेगा।

(11) यह कि लीजगृहिता द्वारा नियमित रूप से लीज रेन्ट की रकम अदा किये जाने पर लीजदाता उक्त सम्पत्ति को नियत अवधि तक खाली नही कराऐगें।

(12) यह कि लीजगृहिता ने उपरोक्त वर्णित शर्तो मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया और लीजरेन्ट समय पर नही दिया अथवा लीज पर ली गई संपत्ति को या उसके किसी भाग को उपपट्टे पर दिया तो लीजदाता को यह अधिकार होगा कि वह उक्त संपत्ति लीजगृहिता से खाली करवा लेवे।

For Catholic Diocese of Jhabua.

Secretary.

For Tribal Education
Bishop's House Meghnagar
(M.P.) Pin 457 779

Scanned by CamScanner

3044
-2 SEP 2009

अनुक्रमांक 3041 का अनुपूरक मात्र

Sheetal
शीतल कोठारी
स्टाम्प वेन्डर झाबुआ

कार्यालय जिला कोषालय
झाबुआ (म.प्र.) JHA-190

10 AUG 2009

सहा. कोषालय अधिकारी

Scanned by CamScanner

ग्राम [redacted] झाबुआ प.ह.न. 19 त जिला झाबुआ

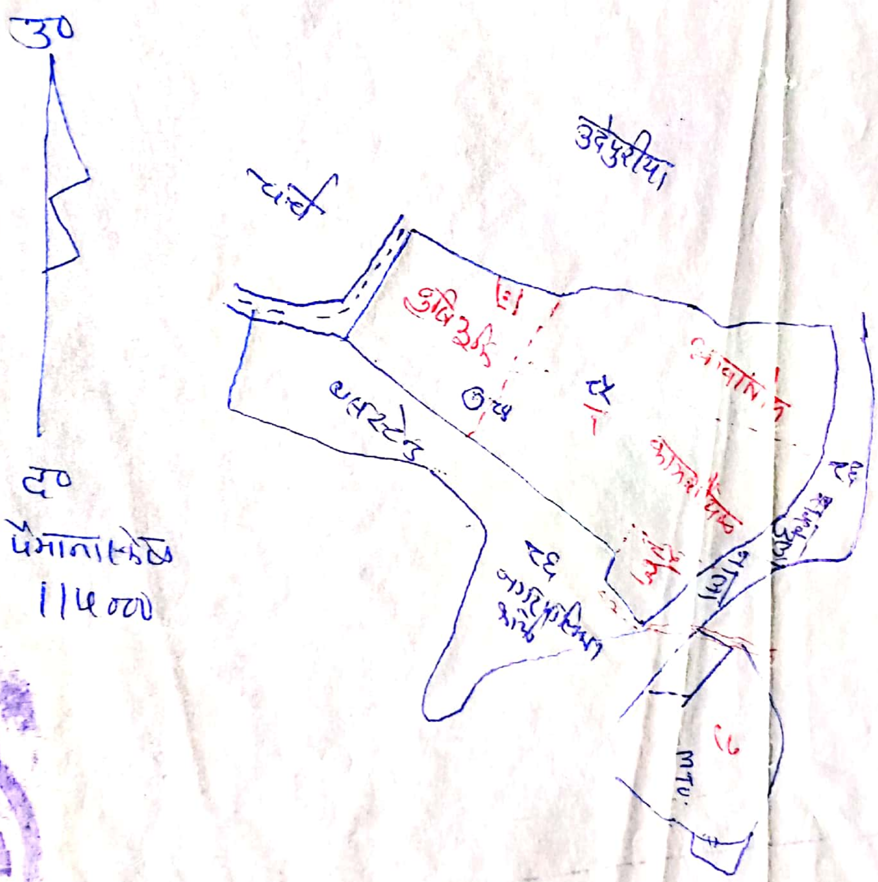

D Solanki
प.ह.न. 19
पटवारी ह.क्र. 19
तेह.एवं जिला झाबुआ (म.प्र.)

For Catholic Dioc...

Secretary

Catholic Mission Society
For Tribal Education
Bishop's House Meghnagar
Pin 457779

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

5

L 670206

अतः यह लीज–डीड़ दोनो पक्षो ने अच्छी तरह से सोच–समझकर, पढकर, सुनकर स्वस्थ चित्त अवस्था में बिना किसी दबाव, छल, कपट, धोखे मे आए, सावधान अवस्था मे, पूर्ण होश–हवास मे साक्षियों के समक्ष हस्ताक्षर कर निष्पादित की ताकि वक्त जरूरत काम आवें, प्रमाण रहे।

दिनांक : 03.09.2009

हस्ताक्षर लीज़दाता

For Catholic Diocese of Jhabua,

Secretary

गवाह

(1) D. Inbanathan, s/o K. Durai samy

Catholic Mission School, Jhabua.

(2) Raju Titiya Meda

New Awas colony Meghnagar

हस्ताक्षर लीज़गृहिता

Catholic Mission Society
For Tribal Education
Bishop's House Meghnagar
Jhabua (M.P.) Pin - 457 779

मेरे द्वारा प्रारूपित

जगदीशचंद्र नीमा
अधिवक्ता, झाबुआ

Scanned by CamScanner

3045
-2 SEP 2009

अनुक्रमांक 3041 का अनुपूरक भाग

Sheetal
शीतल कामरी
स्टाम्प वेन्डर आबुआ

18 AUG 2009

7

Scanned by CamScanner

52

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

C 288085

"कि इस दस्तावेज में पक्षका
[illegible] संपत्ति का मूल्य" "रुपये अंकित किय
है और इस संपत्ति का वास्तविक बाजार मूल्य
स्वीकार करता है। फलस्वरूप [illegible]
स्टाम्प की अन्तर राशि रुपये" [illegible]
लगाये को पक्षकार सहमत है।

अतः स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 3[illegible]
परन्तुक "च" के प्रावधानों के अनुसार पक्षकार द्वारा
उक्त कम स्टाम्प के बराबर स्टाम्प इस दस्तावेज के
साथ जोड़े जाते हैं।

हस्ताक्षर पक्षकार

[illegible] दस्तावेज में निष्पादक [illegible]
संपत्ति की राशि 4115965 अंकित की है। स्टाम्प
अधिनियम की अनुसूची-1 [illegible] के अनुच्छेद 22
के अनुसार रुपये 32760 का स्टाम्प लगाना चाहिए
था जबकि इसमें पक्षकार ने केवल रुपये 31200 के
स्टाम्प लगाए। पक्षकार शेष राशि 1560 के
स्टाम्प लगाने को तैयार है।

अतः स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 35 के
परन्तुक "च" के प्रावधानों के अनुसार पक्षकार द्वारा
उक्त कम स्टाम्प के बराबर स्टाम्प इस दस्तावेज के
साथ जोड़े जाते हैं।

हस्ताक्षर पक्षकार

Scanned by CamScanner

1000×1
500×1
50×1
10×1

3048 से 3051
5/9/09

कमी - मुद्रांक

कार्यालय जिला कोषालय
झाबुआ (म.प्र.) JHA-100

10 AUG 2009

सहा. कोषालय अधिकारी

श्री केथोलिक कमिशन झाबुआ फादर पी. ए. थामस
पिता अन्तोनी सचिव कैथोलिक डायोसिस झाबुआ
झाबुआ
V/S
केथोलिक कमिशन सोसायटी फार ह्यूमन एण्ड एज्युकेशन झाबुआ
वर्तमान प्राचार्य फादर स्टीफन पिता थामस झाबुआ

शीतल कोठारी
स्टाम्प वेन्डर, झाबुआ

द्वारा
श्री जगदीशचन्द्र जी
सीमा एड. झाबुआ

4

Scanned by CamScanner

53

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH B 165871

~~कि इस दस्तावेज म पक्षक। ने संपत्ति का मूल्य रुपये अंकित किया है और इस संपत्ति का वास्तविक बाजार मूल्य स्वीकार करता है। फलस्वरूप देः स्टाम्प की अन्तर राशि रुपये का स्टाम्प लगाने को पक्षकार सहमत है।~~

~~अतः स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 3: परन्तुक "च" के प्रावधानों के अनुसार पक्षकार द्वार उक्त कम स्टाम्प के बराबर स्टाम्प इस दस्तावेज के साथ जोड़े जाते हैं।~~

हस्ताक्षर पक्षकार

~~मैं~~ विक्रय विलेख मैं इस दस्तावेज में निष्पादक ने प्रतिफल की राशि 415965 अंकित की है। स्टाम्प अधिनियम की अनुसूचि-1 (क) के अनुच्छेद 22 के अनुसार रुपये 32760 का स्टाम्प लगाना चाहिए था जबकि इसमें पक्षकार ने केवल रुपये 31200 के स्टाम्प लगाये हैं। पक्षकार शेष राशि 1560 के स्टाम्प लगाने को तैयार है।

अतः स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 35 के परन्तुक "च" के प्रावधानों के अनुसार पक्षकार द्वारा उक्त कम स्टाम्प के बराबर स्टाम्प इस दस्तावेज के साथ जोड़े जाते हैं।

हस्ताक्षर पक्षकार

3049
5 SEP 2009

अनुक्रमांक 3048 का अनुपूरक भाग
Sheetal
शीतल कोठारी
स्टाम्प वेन्डर झाबुआ

कार्यालय जिला कोषालय
झाबुआ (म.प्र.) JHA-130

10 AUG 2009

सहा. कोषालय अधिकारी

3

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

H 308525

कि इस दस्तावेज में पक्षकार
संपत्ति का मूल्य ..... रुपये अंकित किया
है और इस संपत्ति का वास्तविक बाजार मूल्य
स्वीकार करते हैं। फलस्वरूप देय
स्टाम्प की अन्तर राशि रुपये ..... का स्टाम्प
लगाने को पक्षकार सहमत हैं।

अतः स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 35
परन्तुक "च" के प्रावधानों के अनुसार पक्षकार द्वारा
उक्त कम स्टाम्प के बराबर स्टाम्प इस दस्तावेज के
साथ जोड़े जाते हैं।

हस्ताक्षर पक्षकार

अभि-515 ने इस दस्तावेज में विक्रयाधीन
संपत्ति की राशि 415965 अंकित की है। स्टाम्प
अधिनियम की अनुसूची-1 क अनुच्छेद 23
के अनुसार राशि 32700/- का स्टाम्प लगाना चाहिए
था जबकि स्टाम्प ..... रुपये 31140 के
स्टाम्प ..... अन्तर की राशि 1560 के
स्टाम्प लगाने की सहमति है।

अतः स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 35 के
परन्तुक "च" के प्रावधानों के अनुसार पक्षकार द्वारा
उक्त कम स्टाम्प के बराबर स्टाम्प इस दस्तावेज के
साथ जोड़े जाते हैं।

हस्ताक्षर पक्षकार

Scanned by CamScanner

19 JUN 2009

3050
5 SEP 2009

अनुक्रमांक 3048 का अनुपूरक भाग
शीतल कोठारी
स्टाम्प वेन्डर झाबुआ

2

Scanned by CamScanner

55

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 14AA 211990

कि इस दस्तावेज में पक्षकार
संपत्ति का मूल्य रुपये अंकित किया
है और इस संपत्ति का वास्तविक बाजार मूल्य
स्वीकार करता है। फलस्वरूप ...
स्टाम्प की अन्तर राशि रुपये ...
लगाने को पक्षकार सहमत है।

अतः स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 3
परन्तुक "च" के प्रावधानों के अनुसार पक्षकार द्वार
उक्त कम स्टाम्प के बराबर स्टाम्प इस दस्तावेज
साथ जोड़े जाते हैं।

हस्ताक्षर पक्षकार

कि इस दस्तावेज के निष्पादन के
संपत्ति की राशि 415965 अंकित की है। स्टाम्प
अधिनियम की अनुसूची ... अनुच्छेद 22
के अनुसार 32760 का स्टाम्प लगाना चाहिए
था ... 31200/-
स्टाम्प ... राशि 1560
स्टाम्प लगाने को तैयार है।

अतः स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 35 के
परन्तुक "च" के प्रावधानों के अनुसार पक्षकार द्वारा
उक्त कम स्टाम्प के बराबर स्टाम्प इस दस्तावेज के
साथ जोड़े जाते हैं।

हस्ताक्षर पक्षकार

Scanned by CamScanner

3051
5 SEP 2009

2 MAY 2009

अनुक्रमांक 3048 का अनुपूरक भाग
शीतल कोठारी
स्टाम्प वन्डर झाबुआ

आज तारीख 05.09.2009
पुस्तक क्रमांक 1 अतिरिक्त के खंड
क्रमांक 2503 के 7 पृष्ठ क्रमांक
43 से 49 पर क्रमांक 826
पे रूप पंजीकृत किया

उप पंजीयक
झाबुआ जिला झाबुआ (म.प्र.)
05/09/09

SUB REGISTRAR SUB DISTT. JHABUA

मुद्रांक शुल्क रु.
1- पंजीयन शुल्क रु.
2- पृष्ठांकन शुल्क रु. 24570-00
3- प्रतिलिपि शुल्क रु
4- तुलनाशुल्क रु. 30-00
5- नस्ती शुल्क रु.

योग रु. 24600-00

उप पंजीयक
झाबुआ जिला झाबुआ (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 6 L 670207

असल लीज़डीड के संलग्न है।

दिनांक : 03.09.2009

हस्ताक्षर लीजदाता

For Catholic Diocese of Jhabua.

Secretary

हस्ताक्षर लीज़गृहिता

Catholic Mission Society
For Tribal Education
Bishop's House Meghnagar
Jhabua (M.P.) Pin - 457 779

Scanned by CamScanner

3046
-2 SEP 2009

18 AUG 2009

अनुक्रमांक 3041 का अनुपुरक भाग

Sheetal
शीतल कोठारी
स्टाम्प वेण्डर झाबुआ

3 SEP 2009

आज तारीख..................को
पुस्तक क्रमांक 1 अतिरिक्त जिल्द
क्रमांक में......पृष्ठ क्रमांक
..........से..........तक क्रमांक...
पर पंजीबद्ध किया

उप पंजीयक
झाबुआ जिला झाबुआ (म.प्र.

मुद्रांक शुल्क रु.
1- पंजीयन शुल्क रु.
2- पृष्ठांकन शुल्क रु.
3- प्रतिलिपि शुल्क रु
4- तुलना शुल्क रु.
5- नस्ती शुल्क रु.

योग रु.

उप पंजीयक
झाबुआ जिला झाबुआ (म.प्र.)

5